न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 28/2018

प्रविष्टि दिनांक 19-2-2018

सरकार जरिए प्रभारी अधिकारी (जि.रा.ले.) एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक

—प्रार्थी

बनाम

कन्हैयालाल पुत्र कपूरचन्द जैन निवासी केसोटान मोहल्ला निवाई जिला टोंक

—रेस्पोडेण्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—4 पी०डी० आर०एक्ट 1952

उपस्थिति : (1) राजकीय पेरोकार

(2) श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 24—2—2021

प्रस्तुत प्रकरण प्रभारी अधिकारी (जि.रा.ले.) एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक द्वारा मीसा बंदी पेंशन के तहत भुगतान की गई राशि 158400 रूपये पी०डी० आर०एक्ट 1952 की धारा—4 में वसूल करने हेतु कोषाधिकारी टोंक द्वारा मॉग पत्र भिजवाने पर प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव वास्ते सुनवाई अप्रार्थी(बाकीदार) को जरिए नोटिस तलब किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार हैं कि कोषाधिकारी टोंक द्वारा मॉग पत्र भिजवाने पर प्रभारी अधिकारी (जि.रा.ले.) एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक नें श्री कन्हैयालाल पुत्र कपूरचन्द जैन निवासी केसोटान मोहल्ला निवाई जिला टोंक को दिनांक 1—1—2014 से जारी मीसाबंदी पेंशन 12000 एंव चिकित्सा सहायता 1200 कुल राशि 13200 रूपये प्रति माह की दर से स्वीकृत हुई है। जिसके अनुसार पेंशन विभाग द्वारा पी०पी०आ० नम्बर 0251/3703 जारी किया जाकर कोष कार्यालय को पेंशन भुगतान हेतु प्रापत हुआ था। जिसके आधार पर कोष कार्यालय द्वारा बिल नम्बर 1457 दिनांक 11—2--2015 से अवधि 1—1—2014 से 31—1—2015 तक की पेंशन राशि 13200 रूपये की दर से कुंल 171600 रूपये मीसा पेंशनर के बैंक ऑफ बडोदा की शाखा निवाई में खाता सं० 01210100018816 में जमा करवाई गई। तत्पश्चात पेंशनर को भुगतान बेंक द्वारा किया गया। जिला मजिस्ट्रेट(न्याय) टोंक के पत्र कमांक 6044 दिनांक 28—4—2016 द्वारा पेंशनर की पेंशन गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर पेंशन स्वीकृत करवाने के आरोप में पेंशन का भुगतान नहीं करने बाबत आदेश प्राप्त हुए, जिसकी पालना में बैंक को अग्रिम आदेश तक पेंशन का भुगतान नहीं करने के आदेश कोषाधिकारी टोंक द्वारा जारी किये गये। पेंशनर को मीसा पेंशन की राशि के भुगतान की वसूली हेतु आदेश कमांक 1737—44 दिनांक 13.04.2017 प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार कोष कार्यालय के पत्रांक 34 दिनांक 18.04.2017 द्वारा शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा निवाई को भुगतान की गई राशि का विवरण मांगा गया। बैंक ने पेंशनर को फरवरी 2015 से मार्च 20.. तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:13:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

13200 रूपये की दर से कुल 343200 का भुगतान किया जाना बताया। इस प्रकार पेंशनर को जनवरी 2014 से मार्च 2017 तक कुल 514800 रूपये का भुगतान किया गया कि जानकारी कोष कार्यालय के पत्रांक 50 दिनांक 19.04.2017 द्वारा श्रीमान को अवगत करवाया गया। पेंशनर के खाते में जमा राशि 356400 रूपये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा निवाई द्वारा विड्रॉ कर डी0 डी0 नम्बर 222815 दिनांक 10.05.2017 द्वारा कोष कार्यालय को भिजवाया गया जिसको चालान जी.आर. एन. नम्बर 0017078754 दिनांक 02.06.2017 द्वारा राजकोष में जमा कराकर सूचना श्रीमान को इस कार्यालय के पत्रांक 101 दिनांक 09.06.2017 द्वारा दी गई। जिला कार्यालय के पत्रांक 4241 दिनांक 02.08.2017 द्वारा मीसा पेंशनर श्री कन्हैया लाल जैन को शेष राशि 158400 रूपये जमा कराने हेतु पत्र लिखा गया परन्तु पेंशनर के अवशेष राशि आदिनांक तक भी जमा नहीं करवाई है। अतः मीसा बंदी पेंशन के तहत भुगतान की गई राशि 158400 रूपये पी0डी0 आर0एक्ट 1952 की धारा–3 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी (बाकीदार) ने दोराने बहस कथन किया कि प्रार्थी को मीसाबंदी पेंशन नियमानुसार जारी की गई है। प्रार्थी 1 माह 2 दिन जैल में रहा है किन्तु जेल का रिकार्ड दीमक खा गई है। जैल अधीक्षक द्वारा प्रार्थी कन्हैयालाल के जेल में रहने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में चार–पॉच आर0टी0आई प्रार्थना पत्र. भी जेल अधीक्षक को रिकार्ड के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये हैं किन्तु उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। प्रार्थी से गलत वसूली की गई है जो मान्य नहीं है। प्रार्थी ने हाईकोर्ट में से सिविल रिट 4/121 केस नं0 7942 कन्हैयास लाल बनाम स्टेट 2018 में दर्ज कर रखी है। प्रार्थी बाकीदार द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थी पर न्यायालय मुन्सिफ एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग टोंक में चले मुकदमें 37/76 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

राजकीय पेरोकार एंव विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया एंव कार्यालय पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी बाकीदार को कार्यालय जिला कलेक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट टोंक के पत्र कमांक 10025/ न्याय / मीसाबन्दी / बेठक / 2014 दिनांक 14–10–2014 से मीसा/डीआईआर बंदियों को पेशन व चिकित्सा सहायता स्वीकृत की गई थी। किन्तु श्री कन्हैयालाल द्वारा गलत दस्तावेज पेश कर पेंशन प्राप्त करने के आरोप में जिला मजिस्ट्रेट(न्याय) टोंक के पत्र कमांक 6044 दिनांक 28–4–2016 द्वारा पेंशनर की पेंशन का भुगतान नहीं करने बाबत आदेश जारी किये गये। अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विाााग की अधिसूचना दिनांक 28–12–2017 के अनुसार साबित हो कि मीसा एंव डीआईआर बंदी कम से कम एक माह जेल में रहा हो। प्रार्थी ने भी दिनांक 18–5–2017 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि प्रार्थी को राशि 158400 जमा करवाने हेतु 4–5 माह का समय दिया जावे। किन्तु इनके द्वारा अभी तक राशि जमा नहीं करवाई गई है। प्रस्तुत प्रकरण को हम न्याय के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः पब्लिक डिमाण्ड एण्ड रिकवरी एक्ट 1952 के अन्तर्गत बाकीदार श्री कन्हैयालाल पुत्र कपूरचन्द जैन निवासी केसोटान मोहल्ला निवाई जिला टोंक से 158400 रूपये की राशि वसूली करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 24–2–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:13:32 IST
Reason: SelfAttested

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner